[2015] 11एस.सी.आर.299

पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री (एआरसीआई) और अन्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र

बनाम

निम्रा सर्ग्लास टेक्निक्स (पी) लिमिटेड और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2128/2011)

सितम्बर 22, 2015

[जगदीश सिंह खेहर और आर. भानुमति, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते का दायरा - एक सरकारी अनुसंधान संस्थान और एक निजी कंपनी के बीच - संस्थान लक्षित विनिर्देशों को प्राप्त करने में विफल रहा - कंपनी द्वारा शिकायत - संस्थान और उसके अधिकारियों के खिलाफ धारा 420/पीसी के तहत - मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत आवेदन, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया - अपील पर, माना गया: धोखाधड़ी के अपराध का मामला सामने लाने के लिए, केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि गलत प्रतिनिधित्व किया गया था, बल्कि यह भी साबित किया जाना

चाहिए कि शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया था। - एग्रीमेंट की शर्तों सहित मामले के तथ्यों को देखते हुए धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनाया गया है, लेकिन यह अनुबंध के उल्लंघन का मामला है - केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया गया हो- पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है - यदि विवाद नागरिक प्रकृति का है तो आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जा सकता है - धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए और ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय को साक्ष्य और उसकी सत्यता या पर्याप्तता की सराहना नहीं करनी चाहिए - हालाँकि, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक मामले में, उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए - यदि शिकायत में दिए गए कथन अपराध नहीं बनते हैं, तो न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करना अदालत के लिए उचित होगा -

इसलिए, वर्तमान मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है - दंड संहिता, 1860-एस.420 आर/डब्ल्यू एस 34 - अनुबंध - अनुबंध का उल्लंघन - धोखाधड़ी के अपराध से अलग।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. हालांकि यह अच्छी तरह से तय है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, यह उच्च न्यायालय का काम नहीं है कि वह साक्ष्य और उसकी सत्यता या पर्याप्तता की सराहना करे। यह ट्रायल कोर्ट का कार्य है और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, चाहे वह नागरिक या आपराधिक मामले हों, एक लाभकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि शिकायत में दिए गए कथन अपराध नहीं बनते हैं, तो न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करना अदालत के लिए उचित होगा। [पैरा 23,12] [311-जी-एच; 320-जी-एच; 321-ए-बी.जे

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य। 1990 (3) सप्ल.एससीआर 259: 1992 सप्ल.(1) सेकंड 335; टी.एन राज्य बनाम तिरुक्कुरल पेरुमल 1995 (1) एससीआर 712: (1995) 2 एससीसी 449; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम रविशंकर श्रीवास्तव, आईएएस और अन्य. 2006 (4) सप्ल.एससीआर 450:। (2006) 7 सेकंड 188-पर आधारित।

ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य.1999 (2) सप्ल। एससीआर 686: (1999) 8 सेकंड 686; राजेश बजाज बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली और अन्य। 8 1999(1) एससीआर 1012:(1999) 3 सेकंड 259; पी स्वरूपा रानी बनाम एम.हरि नारायण उर्फ हरि बाबू 2008 (3) एससीआर 900: (2008) 5~सीसी 765; इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड और अन्य.2010 (14) एससीआर 591:(2011) 1 एससीसी 74; फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य.2013(9) एससीआर 240:(2013) 14 एससीसी 44; भूषण कुमार और अन्य बनाम। दिल्ली राज्य (एनसीटी) एवं अन्य 2012 (2) एससीआर 696:(2012) 5 एससीसी 424; श्रीमती नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजालगी और अन्य.1976 (0) सप्ल.एससीआर 123: (1976) 3 एससीसी 736- संदर्भित।

2.1 आईपीसी की धारा 420 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं: (i) धोखाधड़ी; (ii) संपत्ति वितरित करने या किसी मूल्यवान सुरक्षा या ऐसी किसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए बेईमानी से प्रलोभन देना जो सील है या हस्ताक्षरित है या मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है और

(iii) प्रलोभन देने के समय अभियुक्त की मानसिक मंशा, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए झूठा प्रतिनिधित्व करना आवश्यक तत्वों में से एक है। धोखाधड़ी के अपराध के लिए मामला लाने के लिए, केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि गलत प्रतिनिधित्व किया गया था, बल्कि, यह साबित करना भी आवश्यक है कि प्रतिवेदन अभियुक्त की जानकारी के अनुसार झूठा था और शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए किया गया था। [पैरा 13)(312-डी-एफ]

2.2 केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच अंतर कथित प्रलोभन के समय आरोपी के इरादे पर निर्भर करेगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त का इरादा उसी समय बेईमानी का था, जब उसने शिकायतकर्ता के साथ वादा किया था और उसकी संपत्ति या धन को छोड़ने के लिए लेनदेन किया था, तो दायित्व आपराधिक है और अभियुक्त धोखाधड़ी के अपराध का दोषी है। दूसरी ओर, यदि यह सब स्थापित हो जाता है कि आरोपी द्वारा किए गए अभ्यावेदन को बाद में बरकरार नहीं रखा गया है तो आरोपी पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता है और शिकायतकर्ता को जो एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है वह सिविल अदालत में अनुबंध के उल्लंघन का उपाय है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता जब तक

कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया गया हो। [पैरा 14] [312-जी-एच; 313-ए-बी]

एस डब्ल्यू पलानीटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2001 (4) सप्ल.एससीआर 397: (2002) 1 धारा 241; रश्मी जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2014) 13 धारा 553 - पर भरोसा किया गया।

2.3 वर्तमान मामले में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के विभिन्न खंड इंगित करते हैं कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता 1999 केवल प्रयोगात्मक प्रकृति का था और एआरसीआई विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन हासिल करने का प्रयास करेगा। समझौते में, अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुसार एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब उपलब्ध कराने के लिए एआरसीआई की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। [पैरा 15] [313 एफ]

2.4 यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कंपनी ने पहले सहयोग के लिए एआरसीआई से संपर्क किया और प्रौद्योगिकी के कुछ हिस्से को विकसित करने के लिए एआरसीआई से धन प्राप्त किया और अंततः इसने 1997 के समझौते के प्रावधान के अनुसार किसी तीसरे पक्ष को संयुक्त रूप से हस्तांतरित करने के बजाय स्वयं प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा विकसित करने का विकल्प चुना। अपीलकर्ताओं पर किसी भी बेईमान इरादे का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कंपनी ने पहले

एआरसीआई के साथ सहयोग किया था और एआरसीआई ने बार-बार प्रदर्शन गारंटी परीक्षण आयोजित करके पर्याप्त प्रयास किए थे। [पैरा 17)[315-जी-एच; 316-ए]

2.5 दिनांक 05.04.2006 के पत्र संख्या एआरसीएल/एडी/2005-2006 (जिस पर प्रतिवादी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था) के अवलोकन से यह पता चलता है कि केंद्र दीवार की मोटाई में एकरूपता में सुधार के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रहा था और वे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी प्रयोग पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) को संबोधित दिनांक 23.10.2006 के पत्र संख्या एआरसीएल/एडी/2006-2007 में, जिसकी प्रति कंपनी को भेजी गई थी, जिसमें कहा गया है कि एआरसीएल के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लक्षित विनिर्देश प्राप्त नहीं किए जा सके। . इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त पत्र टीआईएफएसी को भेजे जाने से पहले, कंपनी की जानकारी में सभी विवरणों पर चर्चा की गई थी और कंपनी ने कैनिंग प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और जाहिर तौर पर अपीलकर्ताओं की ओर से कोई बेईमानी का इरादा नहीं था और अपीलकर्ताओं पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता था। [पैरा 18) [316-सी-ई; 317-बी]

2.6 अपीलकर्ता- एआरसीआई वैज्ञानिकों, टीम लीडर और एसोसिएट डायरेक्टर की एक संरचना है और यह टीम लीडर है जो वास्तव में

परियोजना को निष्पादित करता है, एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर का काम परियोजना की प्रगति की निगरानी/समीक्षा करना है। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 जो क्रमशः एआरसीआई के एसोसिएट निदेशक और निदेशक थे, केवल परियोजना की प्रगति की निगरानी कर रहे थे, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धोखाधड़ी का अपराध किया है। [पैरा 25] [322-डी-ई]

2.7 दोनों अपीलकर्ता अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहे थे। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 ने न तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य किया और न ही उक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से कोई व्यक्तिगत मौद्रिक लाभ प्राप्त किया। वे एआरसीआई के प्रतिनिधि थे, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक अनुदान प्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थान है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अनिवार्य पूर्व मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए क्योंकि उनका कार्य केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन था। [पैरा 24] [321-सी-डी]

2.8 पार्टियों के बीच समझौते के नियमों और शर्तों के विश्लेषण से, पार्टियों के बीच विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का प्रतीत होता है। यह स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि नागरिक प्रकृति के विवादों में आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जाना चाहिए। [पैरा 20] [317-एच; 318-ए]

अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य। (2005) 10 एससीसी 228; मिस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य.2006 (3) सप्ल.एससीआर 704: (2006) 6 सेकंड 736 - पर निर्भर।

2.9 इसके अलावा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते दिनांक 18.06.1999 के अनुच्छेद 21 में मध्यस्थता खंड शामिल है। मध्यस्थ ने निर्णय पारित कर दिया है जो फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है। [पैरा 19] [317-सी-जी]

2.10 इसलिए, शिकायत में लगाए गए आरोप कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत और उचित नहीं है और न्याय के हित में, इसे रद्द किया जाना चाहिए। [पैरा 25] [322-एफ]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

1990 (3) सप्ल.एससीआर 259	निर्भर	पैरा 12
1995 (1) एससीआर 712	निर्भर	पैरा 12
2006 (4) सप्ल.एससीआर 450	निर्भर	पैरा 12
2001 (4) सप्ल. एससीआर 397	निर्भर	पैरा 14
(2014) 13 धारा 553	निर्भर	पैरा 14

(2005) 10 धारा 228	निर्भर	पैरा 20
2006 (3) सप्ल.एससीआर 704	निर्भर	पैरा 21
1999 (2) सप्ल.एससीआर 686	संदर्भित	पैरा 22
1999 (1) एससीआर 1012	संदर्भित	पैरा 22
2008 (3) एससीआर 900	संदर्भित	पैरा 22
2010 (14) एससीआर 591	संदर्भित	पैरा 22
2013 (9) एससीआर 240	संदर्भित	पैरा 22
2012 (2) एससीआर 696	संदर्भित	पैरा 22
1976 (0) सप्ल.एससीआर 123	संदर्भित	पैरा 22

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2128/2011

2008 की आपराधिक याचिका संख्या 7901 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.03.2009 से

राजू रामचंद्रन, सिद्धार्थ दवे, जेमटीबेन एओ, मैथिली विजय कुमारथल्लम, विक्रम आदित्य नारायण, सेंथिल जगदीसन, राजविंदर सिंह अहलूवालिया, मनोज शर्मा, शाहिद अली राव, नंद राम, श्री पाल सिंह,

मुश्ताक अहमद, एस .. उदय कुमार सागर, कृष्णा उपस्थित पक्षों की ओर से कुमार सिंह, डी. महेश बाबू।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश आर. भानुमति द्वारा सुनाया गया

1. यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2008 की आपराधिक याचिका संख्या 7901 में धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के दिनांक 17.03.2009 को दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिससे धारा 419 और 420 आईपीसी के तहत सीसी संख्या 840/2008 में अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

2. संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण यह मामला दर्ज किया गया, वे इस प्रकार हैं: - प्रतिवादी-शिकायतकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो वैज्ञानिक उपकरणों और उपकरणों के निर्माण और विपणन में लगी हुई है। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता-इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (संक्षेप में 'एआरसीआई') और उसके अधिकारियों यानी अपीलकर्ता नंबर 2- वी. जोशी, एसोसिएट डायरेक्टर और अपीलकर्ता नंबर 3- जी. सुंदरराजन, निदेशक के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिनिधित्व किया है कि एआरसीआई के पास एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब के निर्माण की तकनीक

है जिसका उपयोग उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के निर्माण में किया जाता है जो उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाते हैं। उस अभ्यावेदन पर, प्रतिवादी ने एक्सट्रूज़न डाई फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब की विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एआरसीआई के साथ दिनांक 18.06.1999 को एक समझौता किया, जो कि बिक्री पर रॉयल्टी राशि को छोड़कर किस्तों में दस लाख रुपये के लिए विनिर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रतिवादी द्वारा विनिर्मित उत्पादों और विपणन के आधार पर उत्पन्न होता। प्रतिवादी ने आरोप लगाया था कि समझौते के अनुसरण में, प्रतिवादी को पूर्वनिर्मित प्रौद्योगिकी के उत्पादन को स्थापित करने और चालू करने के उद्देश्य से बालापुर, हैदराबाद में एआरसीआई के परिसर के भीतर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, जिसके लिए प्रतिवादी ने व्यापक मशीनरी खरीदने और स्थापित करने के लिए लगभग एक करोड़ तीस लाख रुपये खर्च किए। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि मई 2003 में एआरसीआई द्वारा आयोजित समारोह में एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए कई ट्रायल रन लेने के बाद, उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में, प्रौद्योगिकी प्रतिवादी को सौंप दी गई और तदनुसार प्रतिवादी को पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा दो लाख रुपये की तीसरी किस्त भेजने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतिवादी का कहना है कि

उन्हें सूचित किया गया था कि एआरसीआई के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया प्रारंभिक परीक्षण सफल रहा और अपीलकर्ताओं ने अंतिम उत्पाद के कुछ नमूने सौंपे, जिन्हें बाद में हैदराबाद में शुरू किए गए एक संयुक्त कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की प्रत्याशा में कच्चे माल की खरीद के लिए पंद्रह लाख रुपये की राशि खर्च की, इस विश्वास के साथ कि अंतिम सिद्ध तकनीक उसके हाथ में है। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि तीन साल के बाद, प्रतिवादी को प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) को संबोधित पत्र संख्या ARCI/AD/2006-2007 दिनांक 23.10.2006 के माध्यम से सूचित किया गया था कि अंतिम उत्पाद के लक्षित विनिर्देश को प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि एआरसीआई में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए हनीकॉम्ब तकनीक को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया है और अपने झूठे अभ्यावेदन से प्रतिवादी को बड़ी राशि खर्च करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार अपीलकर्ताओं ने धोखाधड़ी का अपराध किया है।

3. प्रतिवादी ने 11 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साइबराबाद की अदालत के समक्ष 06.11.2007 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें धारा 405, 415, 418, 420 आईपीसी के साथ धारा 34 और 120B आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने 28.01.2008 को अंतिम

रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है और इसे स्वीकार किया जा सकता है और मामले को बंद माना जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा दायर विरोध याचिका पर, मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11.11.2008 के आदेश के तहत आईपीसी की धारा 419 और 420 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामले का संज्ञान लिया। द्वितीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साइबराबाद द्वारा जारी समन आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने 2008 के सीसी नंबर 840 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की और उसे खारिज कर दिया गया, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है।

4. अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि जब दिनांक 18.06.1999 को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया गया था, तो एनआईएमआरए को एआरसीएल की हनीकॉम्ब तकनीक के बारे में पूरी जानकारी थी और दूसरे और तीसरे अपीलकर्ता एआरसीआई के एसोसिएट निदेशक और निदेशक के रूप में पूरी तरह से प्रौद्योगिकी विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल थे और प्रतिवादी को धोखा देने का उनका कोई बेईमान इरादा नहीं था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते में विभिन्न खंडों के बारे में बताते हुए, वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने कहा कि उक्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता एक आकस्मिकता प्रदान करता है, यदि लक्षित विनिर्देश प्राप्त

नहीं किए जाते हैं, तो एआरसीआई लगाए गए एकमुश्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क का बीस प्रतिशत तक हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है। यह तर्क दिया गया कि मामला पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का है और अनुबंध के कथित उल्लंघन के लिए, मध्यस्थ कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है और आपराधिक मुकदमा कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

5. उपरोक्त दलीलों को दोहराते हुए, अपीलकर्ता नंबर 2 के विद्वान वकील श्री मनोज शर्मा ने तर्क दिया कि वर्ष 1 और 99 में, दूसरा अपीलकर्ता एआरसीआई परिसर में नहीं था और दूसरे अपीलकर्ता को एसोसिएट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और अप्रैल 2005 में ही एआरसीआई की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और दूसरे अपीलकर्ता को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में कोई बेईमानी का इरादा नहीं बताया जा सकता था।

6. प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री मुश्ताक अहमद ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी को गलत प्रतिनिधित्व दिया कि एआरसीएल के पास सिद्ध सिरेमिक हनीकॉम्ब तकनीक थी और अपीलकर्ताओं ने साजिश रची और प्रतिवादी को समझौते में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और अपीलकर्ताओं के आश्वासन के आधार पर, प्रतिवादी ने एआरसीआई परिसर में स्थापित अपनी औद्योगिक इकाई में व्यापक मशीनरी खरीदने और स्थापित करने में भारी पैसा खर्च किया और केवल वर्ष 2006 में, पत्र दिनांक 23.10.2006 द्वारा, दूसरे अपीलकर्ता ने सूचित

किया कि सिरेमिक हनीकॉम्ब तकनीक विफल हो गई है और तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिनिधित्व शुरू से ही एक कपटपूर्ण अधिकार था।

7. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

8. एआरसीआई, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अनुदान प्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थान, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले कई वैज्ञानिक उत्पादों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य करता है। अपने वैज्ञानिक विकास के एक भाग के रूप में, एआरसीआई ने एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब के लिए एक प्रक्रिया विकसित की। उक्त एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए उपयुक्त पाए गए, जिनका उपयोग वाहनों और एक्सट्रूडेड गैसों के उत्सर्जन में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एआरसीआई के पास तकनीकी जानकारी यानी एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब और एक्सट्रूज़न डाई फैब्रिकेशन तकनीक की प्रक्रिया के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हैं।

9. एआरसीआई ने समझौते के अनुबंध में दर्शाए गए विनिर्देशों के अनुसार एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब के लिए प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रतिवादी के साथ 18.06.1999 को

एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया। समझौते में उक्त जानकारी का उपयोग करने के लिए एआरसीआई और एनआईएमआरए द्वारा लाइसेंस देने के लिए नियमों और शर्तों के तौर-तरीकों और पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों और उनके बीच वित्तीय व्यवस्था का विवरण दिया गया है। समझौते के अनुच्छेद 2.5 के अनुसार, एनआईएमआरए ने उस पर संकेतित विशिष्टताओं के अनुसार सिरेमिक हनीकॉम्ब को देखा है और महसूस किया है कि वे उत्प्रेरक कनवर्टर ऑटोमोटिव एप्लिकेशन के निर्माण के लिए आयातित हनीकॉम्ब का विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा समझौते के अनुच्छेद 2.6 में प्रावधान है कि एनआईएमआरए ने एआरसीआई हनीकॉम्ब नमूनों का कुछ प्रारंभिक मूल्यांकन किया था और पाया कि सिरेमिक हनीकॉम्ब ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

10. प्रतिवादी का तर्क यह है कि एआरसीआई ने पहले से ही एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब के बारे में जानकारी विकसित कर ली है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अनुच्छेद 2.2 से पता चलता है कि एआरसीआई के पास सिरेमिक हनीकॉम्ब प्रौद्योगिकी और एक्सट्रूज़न डाई फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकी की जानकारी के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। यह तर्क दिया गया कि एआरसीआई को बौद्धिक संपदा अधिकार तब तक नहीं दिए जा सकते थे जब तक कि केंद्र ने प्रक्रिया को शत-प्रतिशत सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया और ऐसी शत-प्रतिशत सफलता के बिना

अपीलकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए समझौता नहीं करना चाहिए था। प्रतिवादी का आगे का तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हुए, प्रतिवादी ने केंद्र के बालापुर परिसर के भीतर एक औद्योगिक इकाई की स्थापना की और इस संबंध में व्यापक मशीनरी की खरीद और स्थापना के लिए एक करोड़ तीस लाख रुपये की राशि खर्च की। यह प्रस्तुत किया गया है कि मई 2003 के महीने में एआरसीआई के अधिकारियों ने ट्रायल रन के लिए एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने प्रतिवादी को आश्वासन दिया कि तकनीक सिद्ध है और पूरी तरह से विकसित है और उनके आश्वासन पर विश्वास करते हुए, प्रतिवादी ने कच्चे माल की खरीद के लिए पंद्रह लाख रुपये खर्च किए। इसके तीन साल बाद, दूसरे अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को सूचित किया कि अंतिम परियोजना के लक्षित विनिर्देश हासिल नहीं किए जा सके और दूसरे अपीलकर्ता ने टीआईएफएसी को संबोधित दिनांक 23.10.2006 के पत्र की एक प्रति को चिह्नित किया कि सिरेमिक हनीकॉम्ब तकनीक विफल हो गई है और अपीलकर्ताओं के कृत्य से धोखाधड़ी का मामला बनता है और मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया है।

11. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि टीआईएफएसी को दिनांक 23.10.2006 को संबोधित पत्र में, अपीलकर्ता संख्या 2 ने कहा कि अंतिम उत्पाद के लक्षित विनिर्देश प्राप्त नहीं किए जा सके, जिसका अर्थ है कि तथाकथित परफेक्ट हनीकॉम्ब तकनीक, जिसके बारे में अपीलकर्ताओं ने

दावा किया था, वह वास्तव में एक अपूर्ण तकनीक थी। ARCI की आधिकारिक वेबसाइट पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि ARCI ने पेटेंट पंजीकरण के लिए केवल 03.07.2001 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था और पेटेंट 13.01.2006 को प्रदान किया गया था और जबकि ऐसा है, स्थानांतरण प्रौद्योगिकी समझौते के अनुच्छेद 2.2 में उल्लेख किया गया है कि एआरसीआई के पास जानकारी के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हैं और एक्सट्रूज़न डाई फैब्रिकेशन तकनीक झूठी है और अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी को गलत प्रतिनिधित्व दिया है कि एआरसीआई के पास एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार थे और मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामले का संज्ञान लिया है।

12. कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि जब प्रारंभिक चरण में अभियोजन को रद्द करने के लिए कहा जाता है, तो अदालत द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप अपराध स्थापित करते हैं। उच्च न्यायालय को राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते उन सामग्रियों का विश्लेषण करने से बचना चाहिए जिन्हें अभी तक पेश नहीं किया गया है और उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना बाकी है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति

का उपयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। मामलों की श्रृंखला में, इस न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए और आपराधिक कार्यवाही में शिकायत को रद्द करना हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के मामले में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। .,1992 सप्लिमेंट(1) एससीसी बी 335; टी.एन. बनाम तिरुक्कुरल पेरुमा राज्य/, (1995) 2 एससीसी 449; और केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम रविशंकर श्रीवास्तव, /एएस और अन्य। (2006) 7 एससीसी 188।

13. अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में, यह देखा जाना चाहिए कि विनिर्देशों के अनुसार एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब विकसित करने में कथित विफलता के लिए एआरसीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ दायर शिकायत में आरोप आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों का खुलासा करते हैं या नहीं। यह देखा जाना चाहिए कि क्या शिकायत में दिए गए कथनों से धोखाधड़ी का अपराध बनता है। आईपीसी की धारा 420 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सामग्री हैं: (i) धोखाधड़ी; (ii) संपत्ति वितरित करने या किसी मूल्यवान सुरक्षा या ऐसी किसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए बेईमानी से प्रलोभन देना जो सील है या हस्ताक्षरित है या मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है और (iii) प्रलोभन देते समय अभियुक्त की

मनःस्थिति। झूठा प्रतिनिधित्व करना आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक है। धोखाधड़ी के अपराध के लिए मामला लाने के लिए, केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि गलत प्रतिनिधित्व किया गया था, बल्कि, यह साबित करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त की जानकारी में प्रतिनिधित्व झूठा था और शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए किया गया था।

14. महज अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच अंतर कथित प्रलोभन के समय आरोपी के इरादे पर निर्भर करेगा। यदि यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त का इरादा उसी समय बेईमानी का था जब उसने वादा किया था और शिकायतकर्ता के साथ उसकी संपत्ति या धन को छोड़ने का लेनदेन किया था, तो दायित्व आपराधिक है और अभियुक्त धोखाधड़ी के अपराध का दोषी है। दूसरी ओर, यदि यह सब स्थापित हो जाता है कि आरोपी द्वारा किए गए अभ्यावेदन को बाद में नहीं रखा गया है, तो आरोपी पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता है और शिकायतकर्ता को जो एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है, वह सिविल कोर्ट में अनुबंध के उल्लंघन का उपाय है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया गया हो। . एस डब्ल्यू पलानीटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2002) 1 एससीसी 241 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

"21......धोखाधड़ी का अपराध गठित करने के लिए, धोखा देने का इरादा उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जब प्रलोभन दिया गया था।यह दर्शाना आवश्यक है कि वादा करते समय किसी व्यक्ति का इरादा कपटपूर्ण या बेईमान था, यह कहने के लिए कि उसने धोखाधड़ी का कार्य किया है। बाद में वादा पूरा करने में विफलता को धोखाधड़ी की ओर ले जाने वाला कार्य नहीं माना जा सकता है।"

पलानीटकर के मामले में उपरोक्त दृष्टिकोण को रश्मि जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 13 धारा 553 में संदर्भित और अनुसरण किया गया था।

15. समझौते के विभिन्न खंडों से संकेत मिलता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता 1999 केवल प्रयोगात्मक प्रकृति का था और एआरसीआई विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन हासिल करने का प्रयास करेगा। समझौते में, अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुसार एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब उपलब्ध कराने के लिए एआरसीआई की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। अनुच्छेद 12 जो प्रदर्शन गारंटी से संबंधित है, सुझाव देता है कि एआरसीआई को प्रदर्शन परीक्षण करना है और समझौते के अनुबंध I में उल्लिखित उत्पाद की गुणवत्ता/विनिर्देश प्राप्त करने का प्रयास करना है। हम समझौते के अनुच्छेद 12.2 से 12.6 को उपयोगी रूप से देख सकते हैं जो इस प्रकार है:

"12.2 जब प्रदर्शन गारंटी परीक्षण के दौरान अनुच्छेद 12.1 में निर्धारित सभी गारंटी आंकड़े हासिल कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद एआरसीआई को जानकारी की प्रदर्शन गारंटी के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

12.3 पहले प्रदर्शन परीक्षण में अनुच्छेद 12.1 में सहमति के अनुसार प्रदर्शन हासिल करने में विफलता की स्थिति में, एआरसीआई आवश्यक सुधार करेगा और एक और प्रदर्शन परीक्षण आयोजित किया जाएगा।

12.4 दूसरे प्रदर्शन परीक्षण में गारंटी आंकड़े हासिल करने में विफलता की स्थिति में, एआरसीआई अपने विकल्प पर या तो कर सकता है (I) 'आवश्यक सुधार करें ताकि एक और प्रदर्शन परीक्षण आयोजित किया जा सके या एकमुश्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क के 20% के बराबर तरल क्षति का भुगतान करें।

12.5 जब अनुच्छेद 12.4 में निर्दिष्ट अनुसार एआरसीआई द्वारा निर्धारित क्षति का भुगतान किया जाता है, तो प्रदर्शन गारंटी को पूरा माना जाएगा क्योंकि एआरसीआई को किसी भी दायित्व या प्रदर्शन गारंटी से राहत मिलेगी।

12.6 यदि एआरसीआई से संबंधित न होने वाले कारणों से, प्रदर्शन परीक्षण के दौरान प्रदर्शन गारंटी के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, तो दोनों पक्ष उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे।"

16. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते में उपरोक्त खंडों को पढ़ने से पता चलता है कि एआरसीआई द्वारा प्रौद्योगिकी सिरेमिक हनीकॉम्ब का विकास प्रयोगात्मक था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से सुझाव देती हैं कि केंद्र को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अनुबंध -1 में उल्लिखित एक्सट्रूडेड सिरेमिक हनीकॉम्ब के उत्पाद की गुणवत्ता/विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन गारंटी का संचालन करना है और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक सुधार करना है। समझौता यह प्रावधान करता है, दूसरे प्रदर्शन परीक्षण के बाद भी विनिर्देश के अनुसार गारंटी के आंकड़े हासिल करने में विफलता की स्थिति में, एआरसीआई को विकल्प दिया जाता है कि या तो एक और प्रदर्शन परीक्षण आयोजित किया जाए या एकमुश्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क पर बीस प्रतिशत के बराबर तरल क्षति का भुगतान किया जाए। समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, एआरसीआई के पास गुणवत्ता/विशिष्टताओं को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन परीक्षण आयोजित करने का विकल्प था और जब वह इन विशिष्टताओं को प्राप्त नहीं कर सका, यह नहीं कहा जा सकता कि एआरसीआई ने आईपीसी की धारा 420 के आवश्यक तत्वों को आकर्षित करते हुए प्रतिवादी को धोखा देने के बेईमान इरादे से काम किया।

17. दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ताओं पर आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता है। सबसे पहले, सिरेमिक छत्ते की उपयुक्तता के संबंध में एनआईएमआरए की संतुष्टि। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अनुच्छेद 2.5 के अनुसार, एनआईएमआरए ने महसूस किया कि कैटेलिटिक कन्वर्टर्स ऑटोमोटिव एप्लिकेशन के निर्माण के लिए एआर सीएल के हनीकॉम्ब आयातित हनीकॉम्ब का विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि अनुच्छेद 2.6 से देखा गया है, एनआईएमआरए ने छत्ते के नमूनों का कुछ प्रारंभिक मूल्यांकन किया और पाया कि सिरेमिक छत्ते ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। दूसरे, जैसा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते 1999 के अनुच्छेद 2.8 से देखा गया है, NIMRA ने पहले दो वाहनों मारुति 800C C और Celio 1500C C के लिए दो नमूनों पर रूपांतरण दक्षता प्राप्त करने के लिए NIMRA on ARCI के सब्सट्रेट द्वारा वॉश कोट और उत्प्रेरक कोटिंग को अनुकूलित करने के लिए 28.05.1997 को ARCI के साथ एक समझौता किया था। उक्त समझौते के अनुसार, ARCI ने रूपांतरण दक्षता प्राप्त करने के लिए अनुकूलन प्रक्रिया के लिए प्रतिवादी को छह लाख पचास हजार रुपये का भुगतान किया और दिनांक 06.05.1999 के संशोधन के माध्यम से उक्त समझौते को आगे बढ़ाया गया। यह देखा गया है कि एनआईएमआरए ने पहले सहयोग के लिए एआरसीआई से संपर्क किया और प्रौद्योगिकी के एक

हिस्से को विकसित करने के लिए एआरसीआई से धन प्राप्त किया और अंततः एनआईएमआरए ने 1997 के समझौते के अनुसार किसी तीसरे पक्ष को संयुक्त रूप से हस्तांतरित करने के बजाय स्वयं प्रौद्योगिकी के एक हिस्से को विकसित करने का विकल्प चुना। अपीलकर्ताओं को किसी भी बेईमान इरादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनआईएमआरए ने पहले एआरसीआई के साथ सहयोग किया था और एआरसीआई ने बार-बार प्रदर्शन गारंटी परीक्षण आयोजित करके पर्याप्त प्रयास किए थे।

18. प्रतिवादी ने मुख्य रूप से दिनांक 23.10.2006 के पत्र संख्या एआरसीएल/एडी/2006-2007 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने जो बताया वह यह था कि तथाकथित परफेक्ट हनीकॉम्ब तकनीक जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था, वह वास्तव में थी , एक अपूर्ण तकनीक और इस प्रकार अपीलकर्ताओं का कार्य धोखाधड़ी के समान है। दिनांक 05.04.2006 के पत्र संख्या एआरसीआई/एडी/2005-2006 को पढ़ने से यह पता चलता है कि केंद्र दीवार की मोटाई एकरूपता में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था और वे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी प्रयोग पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) को संबोधित दिनांक 23.10.2006 के पत्र संख्या एआरसीएल/एडी/2006-2007 में, जिसकी प्रतिलिपि एनआईएमआरए को

चिह्नित की गई थी, कहा गया है कि एआरसीएल के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लक्षित विनिर्देश हासिल नहीं किए जा सके। उक्त पत्र में आगे कहा गया है:-

"... ARCI ने NIMRA को पहले ही बता दिया है कि ARCI वर्तमान में लक्षित विनिर्देशों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ARCI ने NIMRA को बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि यह उपरोक्त कारणों से परियोजना को कम समय में बंद करने का अनुरोध करते हुए टीआईएफएसी को लिखेगा। हालाँकि, श्री खाजा ने एआरसीआई को ऐसा कदम उठाने से मना कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह नहीं चाहते कि परियोजना को विफल करार दिया जाए और टीआईएफएसी से प्राप्त ऋण राशि को पूरी तरह से नहीं चुकाने की छवि सामने आए। श्री खाजा ने एआरसीआई को यह भी संकेत दिया है कि निम्रा सेरग्लास, विनिर्देशों से मौजूदा विचलन के बावजूद उत्पाद के व्यावसायीकरण के लिए एक अंतिम प्रयास करना चाहेगा। इस उद्देश्य के लिए, श्री खाजा ने कैनिंग प्रक्रिया को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें वर्तमान में विकसित हनीकॉम्ब संरचनाओं के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए वॉरपेज के साथ हनीकॉम्ब सब्सट्रेट्स को कैनिंग करने के लिए उपयुक्त एक लचीली चटाई शामिल है.... "

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त पत्र टीआईएफएसी को भेजे जाने से पहले, सभी विवरणों पर चर्चा की गई थी और एनआईएमआरए की जानकारी में एनआईएमआरए ने कैनिंग प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और जाहिर तौर पर अपीलकर्ताओं की ओर से कोई बेईमानी का इरादा नहीं था और अपीलकर्ताओं पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता।

19. यह भी ध्यान रखना उचित है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते दिनांक 18.06.1999 के अनुच्छेद 21 में मध्यस्थता खंड शामिल है। 30.12.2007 को, प्रतिवादी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अनुच्छेद 21.1 में दिए गए अनुसार मध्यस्थता का आह्वान किया और डॉ. टी. रामासामी (एकमात्र मध्यस्थ) को नियुक्त किया गया। 06.02.2008 को, प्रतिवादी ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत एक मध्यस्थता याचिका संख्या 42/2008 दायर की, जिसमें डॉ. टी. रामासामी को स्थानापन्न करने की प्रार्थना की गई कि वह अपीलकर्ता नंबर 3 को जानता है। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर, डॉ. टी. रामासामी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद, एआरसीआई ने एआरसीआई और प्रतिवादी के बीच मौजूदा विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मध्यस्थता याचिका संख्या 78/2008 दायर की। दिनांक 08.07.2008

के एक आदेश द्वारा उक्त मध्यस्थता याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। बार में यह प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में एआरसीआई और प्रतिवादी के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था और मध्यस्थ ने निर्णय पारित कर दिया है जो फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है।

20. पार्टियों के बीच समझौते के नियमों और शर्तों के विश्लेषण से, पार्टियों के बीच विवाद पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का प्रतीत होता है। यह स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि नागरिक प्रकृति के विवादों में आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जाना चाहिए। अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2005) 10 एससीसी 228 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

> "6 .... मात्र अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच एक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह प्रलोभन के समय आरोपी के इरादे पर निर्भर करता है। इसके बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षा नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी, बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया गया हो।
>
> *7 ..... .*

8. शिकायत का सार देखा जाना चाहिए। शिकायत में केवल "धोखाधड़ी" अभिव्यक्ति का उपयोग कोई परिणाम नहीं देता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत में "धोखा देना" और "धोखाधड़ी" और पुलिस के समक्ष दायर शिकायत में "धोखाधड़ी" शब्दों के उल्लेख को छोड़कर, एमओयू में प्रवेश करते समय आरोपी के छल, धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादे के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को भुगतान करने के लिए धोखा देने का था। हमें शिकायत में उल्लिखित रकम के अंतर के सवाल पर जाने की जरूरत नहीं है, जो नोटिस में उल्लिखित राशि से कहीं अधिक है और साथ ही आरोपी के बचाव और नोटिस के जवाब में अपनाए गए रुख पर भी गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता का अपना मामला यह है कि तीन करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था और शेष राशि के लिए, आरोपी उपरोक्त कारण बता रहा था। इन पहलुओं पर ध्यान न देने का अतिरिक्त कारण यह है कि संबंधित पक्षों के बीच संबंधित रकम के लिए एक सिविल मुकदमा लंबित है।"

21. मिस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2006) 6 एससीसी 736 में, इस अदालत ने कहा कि नागरिक

दायित्व को आपराधिक दायित्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इसे निम्नानुसार माना जा सकता है: -

> "13. इस मुद्दे पर, व्यापारिक हलकों में विशुद्ध रूप से नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रचलित धारणा के कारण है कि नागरिक कानून उपचार समय लेने वाले होते हैं और उधारदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई पारिवारिक विवादों में भी देखी जाती है, जिससे विवाह/परिवार अपूरणीय रूप से टूट जाते हैं। ऐसी भी धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह आपराधिक मुकदमे में फंस सकता है, तो शीघ्र ही समाधान होने की संभावना है। आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दबाव डालकर नागरिक विवादों और दावों को निपटाने के किसी भी प्रयास को, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, निंदा और हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जी सागर सूरी बनाम यूपी राज्य (2000) 2 एससीसी 636 में इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पी. डी 643, पैरा 8)
>
> > "यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई मामला, जो अनिवार्य रूप से एक नागरिक प्रकृति का है, को आपराधिक अपराध का जामा पहना दिया गया है।

आपराधिक कार्यवाही कानून में उपलब्ध अन्य उपचारों का छोटा रास्ता नहीं है। आपराधिक अदालत को प्रक्रिया जारी करने से पहले काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। आरोपी के लिए यह गंभीर मामला है. इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना है। इस धारा के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।"

14. जबकि वैध कारण या शिकायत वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कानून में उपलब्ध उपचारों की तलाश करने से नहीं रोका जाना चाहिए, एक शिकायतकर्ता जो अभियोजन शुरू करता है या जारी रखता है, पूरी तरह से जानता है कि आपराधिक कार्यवाही अनुचित है और उसका उपचार केवल नागरिक कानून में निहित है, ऐसी गलत धारणा वाली आपराधिक कार्यवाही के अंत में, कानून के अनुसार, खुद को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अनावश्यक अभियोजन और निर्दोष पक्षों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अदालतों द्वारा उठाया जा सकने वाला एक सकारात्मक कदम सीआरपीसी की धारा 250 के तहत अपनी शक्ति का अधिक बार प्रयोग

करना है, जहां वे शिकायतकर्ता की ओर से द्वेष या तुच्छता या गुप्त उद्देश्यों को पहचानते हैं। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।"

22. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा लिया जाने वाला कोई भी बचाव केवल मुकदमे के दौरान उठाया जाना चाहिए और अभियोजन के प्रारंभिक चरण में नहीं उठाया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने ट्रिसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य (1999) 8 एससीसी 686; पर भरोसा जताया; राजेश बजाज बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली और अन्य (1999) 3 एससीसी 259; पी. स्वरूपा रानी बनाम एम.हरि नारायण उर्फ हरि बाबू (2008) 5 एससीसी 765 और इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड और अन्य। (2011) 1 सेकंड 7 4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जब मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय की हस्तक्षेप करने की शक्ति केवल एक सीमित सीमा तक है, उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सम्मन आदेश के स्थान पर अपना दृष्टिकोण नहीं रख सकता। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2013) 14 एससीसी 44; में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया; भूषण कुमार और अन्य. बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) और अन्य। (2012) 5 एससीसी 424 और श्रीमती नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजालगी और अन्य। (1976) 3 एससीसी 736।

23. उपरोक्त निर्णय सुस्थापित सिद्धांतों को दोहराते हैं कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, साक्ष्य और उसकी सत्यता या पर्याप्तता की सराहना करना उच्च न्यायालय का काम नहीं है, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट का कार्य है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, चाहे वह नागरिक या आपराधिक मामले हों, एक लाभकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि शिकायत में दिए गए कथन अपराध नहीं बनते हैं, तो न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करना अदालत के लिए उचित होगा।

24. दूसरे अपीलकर्ता-डॉ.एस.वी.जोशी एसोसिएट डायरेक्टर थे। तीसरे अपीलकर्ता डॉ. जी. सुंदरराजन एआरसीआई के निदेशक थे और दोनों अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहे थे। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 ने न तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य किया और न ही उक्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से कोई व्यक्तिगत मौद्रिक लाभ प्राप्त किया। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 एआरसीआई के प्रतिनिधि थे जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अनुदान प्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थान है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अनिवार्य पूर्व मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए क्योंकि उनका कार्य केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन था। इस संबंध

में, हमारा ध्यान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक संचार की ओर आकर्षित हुआ, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता नंबर 2 और 3 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है और उक्त संचार इस प्रकार है:

> "...वे दोनों भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं और भारत सरकार के सभी नियमों और विनियमों द्वारा शासित हैं....
>
> आगे कहा गया है कि हमने ARCI और के बीच दिनांक 18/06/1999 के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते से संबंधित गतिविधियों के संबंध में डॉ. जी. सुंदरराजन और एस.वी. जोशी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों की जांच की है, मेसर्स निम्रा सेरग्लास, हैदराबाद और उनका दृढ़ विचार है कि ये कार्रवाई उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अच्छे विश्वास और एआरसीआई के सर्वोत्तम हित में अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए की गई थी।

इसलिए, डॉ. जी. सुंदरराजन और डॉ. एस. वी. जोशी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है।"

अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 के कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए थे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी आवश्यक थी। चूंकि

हमने माना है कि शिकायत में दिए गए कथनों से बेईमान इरादे के आवश्यक तत्व सामने नहीं आते हैं, इसलिए हम इस बिंदु पर और विस्तार से बात करने के इच्छुक नहीं हैं।

25. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते की शर्तों के अनुसार, एआरसीआई को प्रदर्शन गारंटी परीक्षण आयोजित करना है और उन परीक्षणों में जब एआरसीआई लक्षित विनिर्देशों को प्राप्त करने में असफल रहा, तो यह नहीं कहा जा सकता कि एआरसीआई ने प्रतिवादी को धोखा देने के बेईमान इरादे से काम किया है। अपीलकर्ता- एआरसीआई वैज्ञानिकों, टीम लीडर और एसोसिएट डायरेक्टर की एक संरचना है और यह टीम लीडर है जो वास्तव में परियोजना को निष्पादित करता है, एसोसिएट डायरेक्टर और निदेशक का काम परियोजना की प्रगति की निगरानी/समीक्षा करना है। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 जो क्रमशः एआरसीआई के एसोसिएट निदेशक और निदेशक थे, केवल परियोजना की प्रगति की निगरानी कर रहे थे, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धोखाधड़ी का अपराध किया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमारे विचार में, शिकायत में लगाए गए आरोप कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित और उचित नहीं है और न्याय के हित में, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

26. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और इस अपील को अनुमति दी जाती है। साइबराबाद में द्वितीय मेट्रोपॉलिटन

मजिस्ट्रेट की फाइल पर 2008 के सीसी नंबर 840 में अपीलकर्ताओं नंबर 1 से 3 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

कल्पना के. त्रिपाठी — अपील स्वीकार की गई।

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।